न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / रसद / 02 / 2020

बच्चूराम सैनी उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत डावक तहसील नगर जिला भरतपुर ।

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 14.01.2020 प्रकरण संख्या 03 / 2019, 52 / 2019 वमुकदमा सरकार बनाम बच्चूराम सैनी संख्या अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम ।

निर्णय **दिनांक 23.09.2020**

अपीलाण्ट ने यह अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 14.01.2020 इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहत न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध व तथ्यों के विपरीत जाकर अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना जो एक पक्षीय तरीके से विपरीत आदेश पारित किया है, वह न्याय संगत नहीं है । तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.01.2020 में मूल प्रकरण 03 / 2019 में अन्य विचाराधीन प्रकरण संख्या 52 / 2019 को एक साथ क्लब कर निर्णय पारित कर अपीलान्ट के ट्रायल फेस करने के विधिक अधिकारों का हनन किया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने के कारण काबिल खारिज के है।

जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस का उचित जबाव प्रार्थी द्वारा मय सम्बन्धित उपभोक्ताओं के शपथ पत्र सहित दे दिया गया, उसके बाद भी जिला रसद अधिकारी ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाव को कन्सीडर नहीं कर कानूनी भूल की है । तहत न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2019 को अपीलान्ट द्वारा दिए गए जबाव के सत्यापन हेतु प्रवर्तन निरीक्षक नगर को आदेशित किया गया था किन्तु तहत न्यायालय द्वारा सत्यापन रिपोर्ट को पत्रावली पर लिये बिना ही अपने ही आदेश का उल्लंघन का अपीलाधीन आदेश पारित किया है विधि विरूद्ध है । इसके अतिरिक्त तहत न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा सभी उपभोक्ताओं को व्यक्तिशः तहत न्यायालय में पेश कर उनके शपथ पत्रों को प्रस्तुत कर दिया गया था अगर तहत न्यायालय के मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह था तो तहत न्यायालय को शपथ पत्र प्रस्तुतकर्त्ताओं का परीक्षण स्वयं अपने सामने

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

किया जाना चाहिए था किन्तु ऐसा न करके विधि की मंशा के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया है। उक्त आदेश नोन स्पीकिंग आदेश है, जो खारिज किये जाने योग्य है । अन्त में अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.01.2020 को निरस्त करने एवं प्राधिकार पत्र को बहाल करने की प्रार्थना की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है।

पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.01.2020 में मूल प्रकरण 03/2019 में अन्य प्रकरण सं0 52/2019 को एक साथ कलब कर निर्णय पारित कर अपीपलान्ट ट्रायल फेस करने के विधिक अधिकारों का हनन किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है । अपीलान्ट द्वारा तहत न्यायालय के समक्ष सभी उपभोक्ताओं को व्यक्तिशः पेश कर उनके शपथ पत्र पेश किये गए थे जिनकी सत्यता की जांच किये वगैर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी कथन करते हुए निवेदन किया कि डीलर द्वारा राशन सामग्री के वितरण में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है । गेंहूँ का वितरण राशन कार्ड की यूनिटों के हिसाव से ही किया गया है। डीलर की वितरण से सम्बन्धित किसी भी उपभोक्ता की शिकायत नहीं है। वक्त निरीक्षण डीलर की पोस मशीन में गेंहूँ का स्टॉक 96.60 क्विण्टल उपलब्ध था,जो दुकान में भौतिक रूप से भी पाया गया जिसे बाद में वितरण किया गया । शेष 20 क्विण्ट गेंहूँ थोक विक्रेता द्वारा डीलर को बाद में उपलब्ध कराया गया था जिसकी रसीद तहत पत्रावली में संलग्न है । डीलर द्वारा राशन सामग्री का न तो कोई दुरूपयोग किया गया है और न किसी भी प्रकार की कालाबाजारी की है । अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे।

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया है कि उक्त उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध उपभोक्तओं की शिकायत प्राप्त होने पर मौके पर जाकर जांच की गई । ऑनलाइन वितरण के अनुसार उपभोक्ताओं के राशनकार्डों में राशन सामग्री के वितरण इन्द्राज नहीं किये गए । डीलर को थोक विक्रेता से चालान के अनुसार गेंहूँ आपूर्ति से 20.30 क्विण्टल गेंहूँ भौतिक सत्यापन में कम मिला, इस बावत डीलर द्वारा कोई भी तथ्य वक्त जांच प्रस्तुत नहीं किया । वक्त जांच उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक व मूल्य सूची बोर्ड का भी प्रदर्शन नहीं होना पाया गया । पैरोकार रसद द्वारा अपनी बहस में यह भी निवेदन किया है कि डीलर द्वारा प्रस्तुत जबाव में उस पर लगाये गए आरोपों को खारिज करने योग्य कोई युक्ति संगत तर्क नहीं दिया गया । अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है ।

..... 3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद द्वारा की गई वहस पर मनन किया । पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया । डीलर के विरूद्ध मुख्य आरोप है कि **''थोक विकेता खाद्य एवं नगरिक आपूर्ति निगम से प्राप्त चालान संख्या CHAW00002262130 दिनांक 05.09.2019 के अनुसार उचित मूल्य दुकानदार को माह सितम्बर 2019 हेतु 117 क्विण्टल खाद्य सुरक्षा गेंहूँ आपूर्ति होना पाया गया, जबकि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पोस मशीन में उक्त मात्रा में से 96.70 क्विण्टल गेंहूँ प्राप्त किया किया है । शेष 20.30 क्विण्टल गेंहूँ पोस मशीन में प्राप्त होना नहीं पाया गया और भौतिक सत्यापन होना भी नहीं पाया गया ''।**

तहत पत्रावली में उपलब्ध चालान नं0 CHAW00002262130 दिनांक 05.09.2019 के अनुसार डीलर को 117 क्विण्टल गेंहूँ आवंटित हुआ है किन्तु उक्त चालान की प्रति पर यह भी अंकित है कि डीलर ने 192 कटटा जो बारदाने सहित बजन 97 क्विण्टल गेंहूँ होता है, प्राप्त किया । शेष 20 क्विण्टल गेंहूँ वारदाना से अलग बाकी है । इसके पश्चात अगले माह अक्टूबर 2019 में डीलर को 115.90 क्विण्टल गेंहूँ का आवंटन होने पर चालान नम्बर CHAW00002391149 दिनांक 14.10.2019 से डीलर को आपूर्ति की गई है ।उक्त चालान की प्रति पर दिनांक 16.10.2019 को आवंटित गेंहूँ 115.90 क्विण्टल के साथ साथ पूर्व के बकाया 20 क्विण्टल गेंहूँ सहित 135.90 क्विण्टल गेंहूँ डीलर द्वारा प्राप्त करना अंकित है ।

इस प्रकार वक्त निरीक्षण डीलर की पोस मशीन में 96.60 क्विण्टल गेंहूँ पाया गया जो सही था क्योंकि शेष 20 क्विण्टल गेंहूँ तो डीलर ने अगले माह के आवंटन में प्राप्त किया था । और यह गेंहूँ डीलर द्वारा निलम्बित होने पर वैकल्पिक डीलर को सुपुर्दगी में दे दिया गया । इस प्रकार डीलर द्वारा आवंटित गेंहूँ का कोई भी दुरूपयोग किया जाना प्रतीत नहीं होता है । इसके अतिरिक्त तहत पत्रावली की आदेशिका दिनांक 18.12.2019 के अवलोकन से भी जाहिर है कि डीलर द्वारा प्रस्तुत जबाव के सत्यापन हेतु प्रवर्तन निरीक्षक नगर को लिखा गया है किन्तु सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो नोन स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में है ।

हालांकि डीलर द्वारा वक्त निरीक्षण स्टॉक व मूल्य सूची बोर्ड दुकान के बाहर प्रदर्शित नहीं कर रखा था, जिसे डीलर द्वारा अपने जबाव में भी स्वीकार किया है । डीलर को चेतावनी दी जाती है कि वह भविष्य में स्टॉक व वस्तुओं की मूल्य सूची बोर्ड नियमित रूप से दुकान पर प्रदर्शित करे एवं प्राधिकार पत्र नक्शा , यूनिट रजिस्टर, खाद्य सुरक्षा सूची व आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक रजिस्टर आदि का रिकॉर्ड दुकान पर हमेशा उपलब्ध रखें।

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

उपरोक्त विवेचन से अपीलांट के विरूद्व आरोप गंभीर प्रकृति के नहीं है। और ना ही उसके खिलाफ राशन सामग्री की कालाबाजारी किया जाना प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में तहत न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त प्रतिभूति राशि जब्त किये जाने की आज्ञा पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अस्तु अपीलाधीन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अपीलांट की प्रतिभूति राशि जब्ती आदेश को यथावत रखते हुए प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना उचित पाते हैं। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर का आदेश दिनांक 14.01.2020 में से प्राधिकार पत्र निरस्ती का आदेश अपास्त किया जाता है तथा प्रतिभूति राशि जब्ती का आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांट का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि अपीलांट से प्रतिभूति राशि जमा करायी जाकर डीलर की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जावे। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दि0 23.09.2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर